## न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.
अपील सं. 04/2021
महावीर पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी 2 एम एम के तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
अपीलांट

बनाम

1. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) संगरिया, जिला हनुमानगढ़।

रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.02.2021 न्यायालय तहसील राजस्व संगरिया, प्रकरण सं. 01/2021 अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम ब मूराद मनसुखी।

उपस्थितः— 1. श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

—:निर्णयः—

दिनांकः—25.03.2025

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपीलान्ट को एक नोटिस दिनांक 11—2—2021 को जारी करते हुए तारीख पेशी 25—2—2021 के लिए इस बाबत दिया कि अपीलान्ट ने कृषि भूमि वाके चक नम्बर 2 एम एम के पत्थर नम्बर 169/203, पत्थर नम्बर 169/202 तादादी 1.771 हैक्टेयर पर नाजायज काश्त है जो रिकार्ड में भट्ठा गैरमुमकिन दर्ज है। इस बाबत पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट भी दिनाक 11—2—2021 को ही रेस्पोन्डेन्ट को दी गई थी। जिस पर उसी रोज 11—2—2021 को ही रेस्पोन्डेन्ट ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई का समूचित सुअवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय रूप से उक्त भूमि में खड़ी फसल सरसों को कुर्क/जब्त करने के अन्तरिम आदेश क्रमांक राजस्व/21/85 दिनाक 11—2—2021 को भू अभिलेख निरीक्षक रतपरा के नाम से जारी कर दिये। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा दिये गये आदेश दिनाक 11—2—2021 से अपीलान्ट पीड़ित है। कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपनी निहित विधिक शक्तियों का कानूनी रूप से निर्वहन नहीं किया है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 11—2—2021 को रिपोर्ट दिये जाने के उपरान्त सर्व प्रथम अपीलान्ट को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिये था, तत्पश्चात ही माननीय अधिनस्थ न्यायालय को ऐसे प्रभावी आदेश देने चाहिये थे। परन्तु पत्रावली का अवलोकन करने से श्री मान जी को भी स्पष्ट हो जायेगा कि सारी की सारी कार्यवाही एक ही दिन में एक ही समय जल्द बाजी में कानून को ताक पर रखते हुए विधि विरूद्ध तरीके से कानून की प्रक्रिया का पालन ना करते हुए की गई है। सही तथ्य यह हैं कि अपीलान्ट का पड़दादा उदाराम पुत्र श्री मगलाराम जाति जाट निवासी 2 एम एम के था। जिसके नाम से रोही मौजा नगराना में खाता संख्या 8/48 में खसरा नम्बर 74 व खसरा नम्बर 74/2 में कुल 78 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि थी। जिसमें से खसरा नम्बर 74 का 9 बीघा 11 बिस्वा व खसरा नम्बर 74/2 का 7 बीघा 8 बिस्वा गैर भाखरा नहर निर्माण के समय ईट भट्टा के लिए ली गई थी। नहर के निर्माण में कोई काश्तकार अपनी भूमि को लेकर कोई तनाजा ना करे इसलिए कृषकों से ईट भट्टा हेतु ली गई कृषि भूमि को रिकार्ड में भट्ठा गैरमुमकिन दर्ज कर दी गई। कि कालान्तर में भाखरा नहर का निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त भट्ठा हेतु ली गई कृषि भूमि की सरकार को कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए अधिकारी स्तर में ही जिस जिस कृषक की भूमि भट्ठा हेतु ली गई थी, वापिस उसी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर देना चाहिये था। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। जबकि प्रश्नगत कृषि भूमि को शामिल करते हुए उदाराम काश्त करता रहा। उसके देहान्त से पूर्व ही उदाराम का पुत्र सुलतानराम का देहान्त हो गया था। इसलिए उदाराम के देहान्त के उपरान्त उक्तभूमि को अपीलान्ट का पिता चुनीराम काश्त करता रहा। चुनीराम का देहान्त दिनाक 26—1—2013 को होने के उपरान्त उक्त भूमि पर एक मात्र अपीलान्ट व उसके भाईयों की ही कब्जा काश्त चली आ रही है। कि जब अधिकारी/कर्मचारी स्तर पर उक्त भूमि नहर निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त भी जब वापिस काश्तकारों के नाम से अकिंत नहीं की गई। तब दिनाक 4—1—1994 को अपीलान्ट के भाईयों जगदीश व अमरचन्द द्वारा एक प्रार्थना पत्र तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी



अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ को प्रेषित की गई। जिन्होने मूल प्रार्थना पत्र ही आवंटन शाखा को प्रेषित करते हुए तहसील सगरिया व पटवारी हल्का से इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की। तहसील सगरिया द्वारा पटवारी हल्का से इसकी विस्तृत रिपोर्ट लेकर स्वयं रिपोर्ट की जिसमें स्पष्ट रूप से अकिंत किया गया कि चक नम्बर 2 एम एम के मुरब्बा नम्बर 42 किला नम्बर 12 ता 14, 17 ता 19, 22 ता 24, मुरब्बा नम्बर 46 किला नम्बर 2 ता 4,7,8,9 कुल 14 बीघा 6 बिस्वा रिकार्ड में गैरमुमकिन भट्ठा दर्ज है। उक्त भट्ठा भाखरा विभाग द्वारा पूर्व मे नहर निर्माण के लिए चलाया गया था तथा अब मौका पर रक्बा खाली है एवं काश्त योग्य है। इसके अलावा तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया कि खतौनी संख्या 1994 में खसरा नम्बर 74 रक्बा 78 बीघा 10 बिस्वा उदाराम पुत्र मगंलाराम जाति जाट के नाम खातेदारी था एवं मुताबिक नागान्तरण सख्या 258 दिनाक 1–5–56 के खसरा नम्बर 74 में से 9 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 74/2 में से 7 बीघा 8 बिस्वा गैरमुमकिन भट्ठा दर्ज हुआ। मुताबिक पर्चा खतौनी भट्ठे में आई भूमि का तबादला दिया जाना नहीं पाया जाता। भविष्य में इस भूमि का भट्ठे के लिए उपयोग नहीं होगा। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर नाजायज कब्जा ना होकर बल्कि उसके पड़दादा की खातेदारी भूमि है। जिसने मात्र भाखरा नहर के निर्माण करने हेतु ईट भट्ठा हेतु दी थी। प्रयोजन पूर्ण होने पर स्वतः ही बतौर खातेदारी दर्ज होनी चाहिये थी। इसलिए तत्कालीन अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने कानूनी दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का व तहसीलदार की पूर्ण रिपोर्ट आ चुकी थी। अपीलान्ट उक्त तमाम तथ्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रखना चाहता था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर ही प्रदान नहीं किया। अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर फसल सरसों काश्त की हुई है। अपीलान्ट अजहद गरीब आदमी है। आजीविका का कोई श्रोत नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश से अपीलान्ट के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त परिस्थितियों में रेस्पोन्डेन्ट का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–2–2021 प्रकरण सख्या 1/2021 अनवानी स्टेट बनाम महावीर निरस्त किया जावे। एवं मामला पुनःसुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को निर्देश के साथ प्रेषित किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने उपस्थिति दी।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–2–2021 प्रकरण सख्या 1/2021 अनवानी स्टेट बनाम महावीर निरस्त किया जावे। एवं मामला पुनःसुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को निर्देश के साथ प्रेषित किया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि तहसीलदार (राजस्व) संगरिया द्वारा प्रकरण सं0 01/2021 अनवानी स्टेट बनाम महावीर पुत्र चुन्नीलाल किस्म मुकदमा उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 निर्णय दिनांक 11.02.2021 विधि अनुसार है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली अवलोकन करने व उभय पक्षकारान की बहस पर मनन करने के पश्चात पाया किः–

1. तहसीलदार (भू.अ.) संगरिया ने उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ को प्रेषित पत्र कमांक भू. अ./94/582 दिनांक 03.05.1994 के अनुसार चक नं. 2 एमएम के में मु.न. 42 किला न0 12ता 14, 17 ता 19, 22 ता 24 मु.न. 46 किला न. 2 ता 4, 7/.075,8,9 कुल 3. 618 है0 भूमि गैरमुमकिन भट्टा दर्ज रिकार्ड है। उक्त भट्टा भाखडा विभाग द्वारा पूर्व में नहर निर्माण के लिए चलाया गया था। तथा अब मौके पर रक्बा खाली है एवं काश्त योग्य है। पूर्व में मुताबिक खतौनी संख्या 1997 में खसरा नम्बर 74 रक्बा 78 बीघा 10 बिस्वा उदाराम पुत्र मगंलाराम जाति जाट के नाम खातेदारी था एवं मुताबिक नामान्तरण संख्या 258 दिनांक 01.05.1956 के खसरा नम्बर 74 में से 9 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 74/2 में से 7 बीघा 8 बिस्वा गैरमुमकिन भट्ठा दर्ज हुआ। मुताबिक पर्चा खतौनी भट्टे में आई हुई भूमि का तबादला दिया जाना नही पाया जाता। भविष्य में भी इस भूमि का भट्टे के लिए उपयोग नहीं होगा।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

2. राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रकरण संख्या 1/2021 अनवानी स्टेट बनाम महावीर निर्णय दिनांक 11.02.2021 जारी करने से पूर्व तहसीलदार (राजस्व) संगरिया द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, इस कारण विधि द्वारा प्रतिपादित नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तो की पालना नहीं होने के कारण प्रश्नगत आदेश विधिसम्मत नहीं है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया द्वारा प्रकरण सं0 1/2021 अनवानी स्टेट बनाम महावीर में उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत जारी आदेश 11.02.2021 अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार (राजस्व) संगरिया, जिला हनुमानगढ को प्रतिप्रेषित किया जाता है की पक्षकार को सुनकर राजस्व रिकार्ड की भलीभांति जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उम्मेदी लाल मीना)
**अपर जिला कलक्टर**
**हनुमानगढ़**